# उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग-1 संख्या- 315 /ix-1/2022 देहरादूनः दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

## अधिसूचना

राज्यापाल, एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन 1988) की धारा 138 सपिटत धारा—212 की उपधारा (1) के अधीन के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

# उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2022

इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष (1) संक्षिप्त (संशोधन) नियमावली, 2022 है। नाम और

यह तुरंत प्रवृत्त होगी। (2) प्रारम्भ

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 में नीचे स्तम्भ–1 में नियम 5 दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में 2. दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्

का संशोधन

#### स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

(2) उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट कराकर जमा प्राविधान करायी जायेगी।

#### स्तम्भ-2

# एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) उपरोक्त कार्यवाही से किसी एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि धनराशि. प्रतिशत 30 नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कराकर करायी जायेगी।

> आज्ञा से, (अरविन्द सिंह ह्याँकी)

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.3.15.ix-1/2022, Dated 14 October, 2022 for general information.

## Government of Uttarakhand **Transport Section- 1** No. 315 /ix-1/2022 Dehradun, Dated : (4October, 2022

## **Notification**

In exercise of the power conferred under section 138 sub-section (1) of uncharted section-212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no-59 of 1988), the Governor of Uttarakhand here by make the following rules for further amendment in Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017, namely :-

# The Uttarakhand Road Safety Fund (amendment) Rules, 2022

Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Road Safety Fund (Amendment) Rules, 2022.
- (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of Rule 5
- In the Uttarakhand Road Safety Fund Rules, 2017 for the existing sub rule (2) of rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

### Column 1 **Existing Rule**

of the percent 25 is which amount collected in any financial year by compounding as above, shall be deposited in the next financial year, by budget provision as per rule.

### Column 2

Hereby substituted rule 30 percent amount of the amount of compounding fee collected in any by financial year proceeding, aforesaid shall be deposited in the next financial year by budget provision, as per rule.

By Order, (Arvind Singh Hyanki) Secretary.